

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-07/2015 परि0...../

प्रेषक,

बलराम प्रसाद,
अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी माटरवान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- **M/S. CLH Gaseous Fuel Application Pvt. Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।**
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s - CLH Gaseous Fuel Application Pvt. Ltd. के द्वारा प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 126 के तहत प्रधिकृत जॉच एजेन्सी ICAI, Manesar, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

Sl. No.	Base Model	Type Approval Certificate No/Date	Types of Vehicle	EX -Showroom Price
1	Green Rick Super	CAKB 0090/30-06-2015	E- RICKSHAW	Rs. 1,11,901.13/-
2	Green Cart	CALB 0071/18-04-2016	E-CART	Rs. 1,09,077/-

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थिनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जॉच प्रतिवेदन/मार्ग निदेशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जांच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण(वैधता) अधिनियम, 1995 की धारा 6 रोडयूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर में निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का विक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन

₹0/-

अवर सचिव

परिवहन विभाग, पटना, पटना।

ज्ञापक :

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि - Authorised Signatory: For CLH Gaseous Fuel Application Pvt. Ltd. Hall No-1, Alier Bhagrola Road, IMT Manesar, Gurgaon, India-122505 को अनुनार्थ प्रेषित।

₹0/-

अवर सचिव

परिवहन विभाग, पटना, पटना।

ज्ञापक :

प्रतिलिपि - State Informatic Officer, NIC, Patna

Master Box में प्रेषित करने के लिए प्रेषित करने के लिए

परिवहन विभाग, पटना, पटना।

5256

31/8/16

✓

31/8/16